

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA**

**IN THE MATTER OF:**

**Original Application No. 137/2023/EZ**

**BHUNI ADHIGRAHAN VISTHAPAN AVAM PUNARWAS KISAN SAMITI  
...Applicant**

**-Versus-**

**STATE OF JHARKHAND & ORS.**

**...Respondents**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed by Deputy Commissioner, Garhwa, Government of Jharkhand.	1 - 7
2.	Verification	8
3.	Annexure I	9 - 28
4.	Annexure II	29

**AISHWARYA RAJYASHREE**  
**Advocate**  
**Bar Association Room No. 5,**  
**High Court, Calcutta**  
**Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,**  
**Kolkata: 700001.**  
**(M)9874995669**  
**Email: [advaish.hc@gmail.com](mailto:advaish.hc@gmail.com)**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
(EASTERN ZONAL BENCH),  
KOLKATA, WEST BENGAL  
FINANCE CENTRE, 3<sup>RD</sup> FLOOR, NEW TOWN

Original Application No 137/2023/EZ

IN THE MATTER OF

Bhumi Adhigrahan Visthapan Avam Punarwas Kisan  
Samiti.....Applicant

VERSUS

State of Jharkhand & others.....Respondents

A humble show cause reply on  
behalf of respondent no. 8,  
being the Collector -cum-  
Deputy Commissioner, Garhwa,  
Jharkhand in compliance of  
the order passed by the  
Hon'ble Tribunal in order  
dated February 15, 2024

MOST RESPECTFULLY SHEWETH

19/3/24

1. That at the very outset the answering respondent tenders his unqualified and unconditional apology before the Hon'ble Tribunal.
2. That it is further most respectfully stated and submitted that the respondent has highest respect and regards for this Hon'ble Tribunal and its order and being responsible government servant, I cannot ever imagine misleading the Hon'ble Tribunal rather I am duty bound to present the all relevant and accurate facts.
3. That on dated 13.02.2024, the answering respondent has submitted an affidavit in connection with the instant matter as a respondent no. 8, being the Collector -cum- Deputy Commissioner, Garhwa, Jharkhand. After a review of the facts presented in form of previous affidavit, he has come to

realize that the information contained in para 13 was not accurate.

4. That the inaccuracies in the previous affidavit were unintentional, and the deponent did not have the intention to mislead the Hon'ble Tribunal.
5. That the deponent is submitting this affidavit to rectify the errors and provide accurate and truthful information to the Hon'ble Tribunal.
6. That the sand mining project, under the name of M/S J.S.M.D.C Ltd., which is the subject matter of the instant application before the Hon'ble Court, is located within an extent of 20.24 hectares in Plot No. 2363 (Part) of Village- Pachadumar, Thana No. 30, Thana-Ketar of District-Garhwa, Jharkhand (referred to hereinafter as the project site). The geographical coordinates of the project site are as follows:

Points	Latitude	Longitude
1	24°31'08.90"N	83°33'02.99"E
2	24°31'08.90"N	83°33'39.72"E
3	24°31'02.59"N	83°33'39.72"E
4	24°31'02.59"N	83°33'02.99"E

7. That the Divisional Forest Officer, Garhwa North Forest Division has reported in his official letter no. 433...dated 7.8.2024 (a photocopy is annexed herewith and marked as **Annexure-I**) that;

7.1 The project site is not a part of any Protected Area notified under sections 18, 26-A, or 35 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

7.2 The minimum distance between the sand mining project, under the name of M/S J.S.M.D.C Ltd., which is the subject matter of the instant application before the Hon'ble Tribunal, is located within an expanse of 20.24 hectares in Plot No. 2363

29  
19/3

(Part) of Village- Pachadumar, Thana No. 30, Thana- Ketar of District-Garhwa, Jharkhand, and the nearest protected area, namely Kaimur Wildlife Sanctuary situated in the State of Bihar is 1.8 K.M.

7.3 The project site is not a part of Eco-Sensitive Zone of any protected area.

7.4 The final declaration of the eco-sensitive zone of nearest protected area with respect to the project site, namely Kaimur Wildlife Sanctuary situated in the State of Bihar has been officially notified by the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification S.O. 3549(E) dated 30.12.2015 (a photocopy is annexed herewith and marked as **Annexure-II**).

8. That based on the aforesaid facts submitted herein above the instant project under consideration before the Hon'ble Tribunal is


19/13

neither prohibited as per the orders of the Hon'ble Supreme Court passed in WP(C) No 202 of 1995 and WP(C) No 435 of 2012 in which the Hon'ble apex court has prohibited mining activity within one kilometre from the boundary of National Park or Wildlife Sanctuary and the provisions laid down in final Eco-Sensitive Zone vide the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification S.O. 3549(E) dated 30.12.2015 of nearest protected area of the project site, namely Kaimur Wildlife Sanctuary situated in the State of Bihar nor it require to obtain Wildlife clearance from the National board for Wild Life or the Standing Committee of National Board for Wildlife according to the aforesaid guidelines issued by the Government of India.

19/3

9. That the deponent once again tenders unconditional and unqualified apology before this Hon'ble Tribunal and I understand the importance of submitting accurate information to the court, and I sincerely apologize for any confusion or inconvenience caused by the inaccuracies in the previous affidavit.
10. That this show cause is being filed bonafide and in the interest of justice.
11. That I, the deponent, affirm that the statements made in this affidavit are true and correct to the best of my knowledge, belief, and understanding.

Submitted.

  
19/3/24

Paresh Kumar Tiwari  
Government Pleader  
Garhwa

  
19.3.24  
A.M.O. Prabhakar

Approved  
  
19.3.24  
उपायुक्त,  
गढ़वा



Verification

Book No. 23 3020 2/13 Date 024

I, Shekhar Jamuar, Son of Late A.M. Jamuar, aged about 58 years, by religion Hindusim, by Occupation service under the State Government of Jharkhand in the office of Deputy Commissioner, Garhwa, Jharkhand, having its office at Garhwa, Jharkhand and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, Garhwa, Jharkhand.

Date:

Place:

*C. K. Singh*  
21/3/2024

Identified by me:  
Advocate

*Ramesh* 19.3.24  
Signature

*R.C. Bhagati*  
21/3/2024

NOTARY  
R.C. Bhagati  
Dist. Garhwa



## Office of the Divisional Forest Officer, Garhwa North Forest Division.

Van Bhawan, Kutchery Road, Garhwa

E-mail id :- dfo-garhwanorth@gov.in

Phone :- 06561-222237



Letter no.: - 433

Garhwa/Dated:- 07/03/2024

Deputy Commissioner  
Garhwa

Subject:

Request for Information/Records pertaining to the Original Application No. 137/2023/EZ in the matter of Bhumi Adhigrahan Visthapan Avam Punarwas Kisan Samiti (Applicant) Vs State of Jharkhand &amp;Ors (Respondents) regarding.

Ref:-

Your Letter No. 287/विधि dated 05.03.2024

Sir,

In response to your office letter no.287/विधि dated 05.03.2024, in which you have sought information and records pertaining to the Original Application No. 137/2023/EZ, in the matter of Bhumi Adhigrahan Visthapan Avam Punarwas Kisan Samiti (Applicant) Vs State of Jharkhand &Ors (Respondents); currently under consideration before the Hon'ble National Green Tribunal (Eastern Zonal Bench) in Kolkata, West Bengal, the following are the details of information /records you have requested:

The minimum distance between the sand mining project, under the name of M/S J.S.M.D.C Ltd., which is the subject matter of the instant application before the Hon'ble Tribunal, is located within an expanse of 20.24 hectares in Plot No. 2363 (Part) of Village- Pachadumar, Thana No. 30, Thana- Ketar of District-Garhwa, Jharkhand, and the nearest protected area, namely Kaimur Wildlife Sanctuary situated in the State of Bihar.

The Divisional Forest Officer, Kaimur Forest Division, Bhabhua, Bihar, under whose administrative and management control lies the Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar, has reported in his official letter no. 1440 dated 07.06.2022 (a photocopy is annexed herewith and marked as **Annexure-I**) that the minimum distance between the sand mining project (M/S J.S.M.D.C Ltd.), which is located within an expanse of 20.24 hectares in Plot No. 2363 (Part) of Village- Pachadumar, Thana No. 30, Thana- Ketar of District-Garhwa,

D:\Kumari\GARHWA NORTH\2023-24\Amin\letter\DFO letter to DC.docx

	Jharkhand and the nearest protected area Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar, is 1.8 kilometer.
Confirmation on whether the Eco-Sensitive Zone around the Kaimur Wildlife Sanctuary situated in the State of Bihar, has been officially notified by the Central Government. If answer is affirmative, please provide the copy of the notification.	The Eco-Sensitive Zone around the Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar, has been officially notified by the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification S.O. 3549(E) dated 30.12.2015. Please find the copy of the notification annexed herewith and marked as <b>annexure-II</b> .
Whether the project site is situated within any Protected Area notified under sections 18, 26-A, or 35 of the Wild Life (Protection) Act, 1972? If answer is affirmative, please provide the copy of the notification.	No
Whether the project site falls within Eco-Sensitive Zone of any protected area. If answer is affirmative, please furnish the relevant details.	No
Copies of the guidelines or directions issued by the Central Government for obtaining wildlife clearance for any project or activity.	Copies of the guidelines or directions issued by the Central Government for obtaining wildlife clearance are annexed herewith for your reference and marked as <b>annexure-III</b> series.

**Encl:-** As stated above.

Sincerely

*R. S. Singh*  
1-5-24

Divisional Forest Officer  
Garhwa North Forest Division.

D:\Kumar\GARHWA NORTH\2023-24\Amin\Letter\DFO letter to DC.docx

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार  
कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, ममुआ।  
Email ID. kalmurdfog@gmail.com  
Mobile No. 9473378173

पत्रांक.....1440./

आपील  
14/6/22 प्रेषक.

कार्यालय  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल  
प्राप्तांक...1631.....  
दिनांक...18-06-2022

सेवा में,

प्रद्युम्न गीरव, नरपकोरे,  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कैमूर वन प्रमण्डल, ममुआ।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा।

ममुआ-821101, दिनांक:- 07/1/6/2022

विषय:- Environment Clearance for the project "Pachadumar Sand Mining Project of M/s J.S.M.D.C., Ltd." के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 917 दिनांक 20.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा माँगी गई सूचना निम्नवत भेजी जा रही है-

क्रम सं०	माँगी गई सूचना	उपलब्ध कराई गई सूचना	अभियुक्ति
1	विषयगत बालू खनन स्थल कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के निकटतम सीमा से कितनी दूरी पर अवस्थित है?	1.80 किमी	
2	क्या विषयगत बालू खनन स्थल कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है?	नहीं। परंतु प्रश्नगत स्थल पर ESZ की चौड़ाई शून्य किमी है।	
3	क्या कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी का पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है?	हाँ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, जिसका अधिसूचना सं०-का.आ. 3549 (अ), दिनांक-30.12.2015 है।	
	क्या अधिसूचना में वर्णित प्राक्धान के आलोक में प्रश्नगत स्थल पर बालू उत्खनन का कार्य किया जा सकता है?		
4	क्या प्रश्नगत स्थल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रीट याचिका संख्या-202/1995 में दिनांक 04.08.2022 एवं सिविल रीट याचिका संख्या-435/2012 में दिनांक-21.04.2014 के पारित अंतरिम आदेश के आलोक में खनन कार्य किया जा सकता है?	इस संबंध में भवदीय स्तर से आवश्यक निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	

अतः भवदीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(3) 14/6/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कैमूर वन प्रमण्डल, ममुआ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-13004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2828]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

No. 2828]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3549(अ).—जहाँ प्रारूप अधिसूचना, केन्द्रीय सरकार में तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना संख्यांक का.आ.274 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी; उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव मांगे गये थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 28 जनवरी, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रति उत्तर में, सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त हुए, सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

और, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के उस समय के शाहवादा जिले में और वर्तमान में रोहताश और कैमूर जिले में अक्षांश 24°3' और 25°0' उ. और 88°25' और 85°0' पू. देशांतर के बीच अवस्थित है, जो 1504.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन बिहार राज्य के वन विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1160 तारीख 20 जुलाई, 1979 के द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था ;

और, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, जंगली सूअर, आलसी भालू, चीतल, सांभर कृष्ण सार हिरण, चिंकारा, चौमिंधा (चाग रींग वाला बारासिंधा), नीलगाय, जंगली मुर्गा, अजगर, मगर, लंगूर, बंदर और सौ

5487 GI/2015

(1)

से अधिक पक्षियों की प्रजातियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिसके अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियां जैसे नीला, कृष्ण गारुड, चिंकारा, चार सींग वाला बारासिंघा (चौसिंघा) भी हैं; और

और यह अभ्यारण्य निम्नलिखित प्रकार के वनों से समृद्ध है, अर्थात् :—

- (i) उत्तरी उष्णकटबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और शुष्क शाल वन, जिनमें सामान्य सहवृक्षीय जैसे अगना, कंद, मगडा, पियर, धाउरा, आंवला, हरड, बहेडा, बिजा, करामंद अनियमित रूप से गमहार और जामुन पाए जाते हैं;
- (ii) खुले और झाड़ीदार वन जिसमें वेर, कनुदा, कपारिस, सिपा, रेंडिया सिपा आदि वेहद अनियमित रूप से पाए जाने वाले केंद के तने, सिद्धा, हरड और महुआ के साथ पाए जाते हैं;
- (iii) खुले विभिन्न वनों में असन, केंद, कुमुम, करम, पियर, धाउरा, भारकद, गमहार, वेर, सलाई, आंवला, हरड, बहेडा, दुधकोराया और वनों के इस प्रकार में अनियमित रूप से खैर के साथ महुआ और बिजा के महत्वपूर्ण सहवृक्ष पाए जाते हैं;
- (iv) प्रकीर्ण वन वांस (डेंड्रोकलमुस स्ट्रिक्टस) के साथ; और
- (v) सलाई वन;

और, इस अभ्यारण्य के वन वर्षा अवरोधन भी करते हैं और भूमिगत जल के पुनः जलभरण में सहायता करते हैं और नदियों और नालों को भूमि के क्षरण के न्यूनीकरण द्वारा गादकरण से संरक्षण करते हैं; अभ्यारण्य से उद्भूत होने वाली मुख्य बारामासी नदियां दुर्गावती और कर्मनाशा हैं;

और, यह अभ्यारण्य विन्धयान पहाड़ी शृंखला के अत्यधिक पूर्व में अवस्थित है और इसका पठार भू-भाग बिहार राज्य में विशिष्ट है;

और, अभ्यारण्य में पठारी भू-भाग में सामाजिक महत्व की चैरो, उराव और खरवार जनजातियां निवास करती हैं;

और, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक के क्षेत्र को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 'पारिस्थितिक संवेदी जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके व्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं और विस्तार—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र 459.12 वर्ग किमी में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर दो किलोमीटर तक अभ्यारण्य की दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी दिशा छोड़कर और अभ्यारण्य की पश्चिमी दिशा भी जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से मिलती है तक विस्तारित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन निम्नलिखित से घिरा हुआ है :—

(i) पश्चिम की ओर- 24° 57'43.980" उ. अक्षांश और 83° 20'43.554" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली बिन्दु 52 का संदर्भ लें);

(ii) पश्चिम उत्तर की ओर- 25°0'42.763" उ. अक्षांश और 83° 21'3.310" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली बिन्दु 1 का संदर्भ लें);

(iii) उत्तर की ओर- 25°1'18.311" उ. अक्षांश और 83° 31'43.377" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली विन्दु 4 का संदर्भ लें);

(iv) पूर्व और पूर्व उत्तर की ओर- 25°53'46.061" उ. अक्षांश और 84° 6'17.194" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली विन्दु 21 का संदर्भ लें);

(v) उत्तर दक्षिण की ओर- 24°44'34.356" उ. अक्षांश और 84° 3'50.259" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली विन्दु 26 का संदर्भ लें);

(vi) दक्षिण पूर्व की ओर- 24°40'21.942" उ. अक्षांश और 84° 1'18.474" पू. देशान्तर (उपाबंध-I मानचित्र के सार्वभौम स्थिति प्रणाली विन्दु 27 का संदर्भ लें)।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र दूरस्थ सिरे और विस्तार के अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(4) कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 237 ग्रामों की सूची (उनके प्रमुख विन्दुओं पर अक्षांश और देशान्तर के साथ और पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित संबंधित क्षेत्र उपाबंध-II के रूप में उपाबद्ध है।

## 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -

(1) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों और इस अधिसूचना में दिए गए नियत लोगों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सधम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केन्द्रीय तथा राज्य विधियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के सामंजस्य में तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उन्ममं एकीकृत करने के लिए तैयार की जायेगी, अर्थात्:-

- (i) वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंध ;
- (ii) बिहार पुलिस ;
- (iii) नगर आवास-विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) ग्रामीण प्रबंध और विकास ;
- (vi) मिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ;
- (vii) लोक निर्माण विभाग ;
- (viii) भू-गजम्ब, और
- (ix) आपदा प्रबंधन।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अयसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उमी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोंधान, ज़ीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिमूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संवद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 24, 27, 30 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iii) वर्षा जल संचय; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक स्रोतों — आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए, ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, विहार सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, विहार सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की बहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्टों के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिष्काव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिमूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 मितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किन्हीं पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिमूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और डम संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाइयां.- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय नियामकों की धरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों एवं ईंटों का निर्माण भी सम्मिलित है ;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की गिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख

		4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (मी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुमरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषण उत्पन्न करने वाली नई आरा मशीनों और विद्यमान इकाइयों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषण उत्पन्न करने वाली नई इकाइयों और विद्यमान इकाइयों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे।
6.	जलावन लकड़ी की वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अमयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
10.	प्राकृतिक जल निकासों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्गमन और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप की दशा में विनियमित होगी और न्यूनतम रखा जाएगा।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल निष्कर्षण भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिनके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

15.	विद्युत केबलों का डायना ।	भूमिगत केबल डायन को प्रोत्साहित करना ।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में वाइ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें मुदूड करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाधान निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	विदेशी प्रजातियों की पहचान ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	दूरसंचार (सेलुलर फोन) टावरों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकासों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
24.	पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तम्बू, लकड़ी के आवास, छपरों की छत ।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिमोटों की स्थापना अनुज्ञात होगी; परंतु, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक ममी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	सुरक्षा बलों के कैम्प ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिमंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
28.	नई लकड़ी आधारित उद्योग ।	लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं होगी ।
<b>संवर्धित क्रियाकलाप :</b>		
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैविक, सोलर ऊर्जा के बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	वानस्पतिक वाइ ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) प्रभाग आयुक्त, पटना राजस्व डिवीजन,-

अध्यक्ष;

(ii)	कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के वन संरक्षक, बिहार सरकार-	सदस्य;
(iii)	खान और भूगर्भ विज्ञान का प्रतिनिधि, बिहार सरकार-	सदस्य;
(iv)	जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, रोहताश/कैमूर का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत त्रिगसत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि-	सदस्य;
(vi)	बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ-	सदस्य;
(vii)	प्रादेशिक अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना-	सदस्य;
(viii)	जिला रोहताश/कैमूर कृषि विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(ix)	जिला रोहताश/कैमूर नगरीय विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(x)	रोहताश/कैमूर के जिला कलक्टर	सदस्य;
(xi)	डिवीजनल वन अधिकारी, रोहताश-	सदस्य सचिव।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 39) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपबंध III में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अनिश्चित उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।


7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा0सं0 25/22/2014-ईएमजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - I

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



## उपाबंध - II

बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

कैमूर जिला :

क्र. सं.	नाम	ब्लॉक	घाना सं.	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	ब्रसरा ( निर्जन )	चैनपुर	341	25°0' 31.102" उ	83°33' 23.881" पू	57
2.	खरानती	चैनपुर	120	25°0' 23.460" उ	83°24' 34.961" पू	88
3.	वनपुर ( निर्जन )	चैनपुर	130	25°0' 34.704" उ	83°26' 17.270" पू	67
4.	छलनिया ( निर्जन )	चैनपुर	132	25°0' 43.567" उ	83°25' 51.010" पू	17
5.	धाराहरा	चैनपुर	133	25°0' 45.195" उ	83°25' 34.185" पू	42
6.	इसमाइलपुर	चैनपुर	113	25°0' 24.333" उ	83°22' 42.720" पू	122
7.	इसमाइलपुर अराजी	चैनपुर	115	25°0' 17.883" उ	83°23' 23.050" पू	330
8.	शिवापुर	चैनपुर	153	24°59' 8.890" उ	83°28' 19.885" पू	142
9.	सनावो	चैनपुर	151	24°59' 24.146" उ	83°27' 46.240" पू	94
10.	चौध पारबतपुर	चैनपुर	150	24°59' 37.762" उ	83°27' 33.322" पू	34
11.	अनापुर	चैनपुर	127	24°59' 7.293" उ	83°26' 7.788" पू	339
12.	राहजीतपुर ( निर्जन )	चैनपुर	152	24°59' 2.413" उ	83°28' 2.631" पू	24
13.	नोनीआन ( निर्जन )	चैनपुर	128	24°59' 23.856" उ	83°26' 39.541" पू	35
14.	सरैया	चैनपुर	338	24°58' 58.380" उ	83°35' 37.174" पू	48
15.	कल्यानीपुर	चैनपुर	154	24°59' 33.991" उ	83°28' 33.356" पू	46
16.	महुआपोखर ( निर्जन )	चैनपुर	148	25°0' 11.876" उ	83°27' 8.671" पू	25
17.	बरदिहा	चैनपुर	126	25°0' 19.548" उ	83°25' 52.460" पू	42
18.	रघुवीर गढ़	चैनपुर	123	25°0' 7.025" उ	83°25' 30.606" पू	125
19.	खरौना	चैनपुर	312	24°59' 43.860" उ	83°29' 51.015" पू	280
20.	मलेमपुर	चैनपुर	313	24°59' 42.989" उ	83°30' 20.615" पू	80
21.	शेरपुर	चैनपुर	316	25°0' 8.831" उ	83°30' 39.751" पू	154.65
22.	भगानदा	चैनपुर	112	25°0' 15.550" उ	83°22' 11.059" पू	154
23.	मालवान	चैनपुर	129	25°0' 8.523" उ	83°26' 36.236" पू	82
24.	नरसिंगपुर ( निर्जन )	चैनपुर	117	25°0' 42.951" उ	83°23' 40.369" पू	23
25.	लोहरा	चैनपुर	155	24°59' 50.378" उ	83°27' 55.299" पू	36
26.	उदय रामपुर	चैनपुर	158	24°59' 22.698" उ	83°28' 57.172" पू	277
27.	मोहम्मदपुर	चैनपुर	146	25°0' 27.225" उ	83°26' 56.602" पू	103
28.	चितरही	चैनपुर	147	25°0' 15.887" उ	83°27' 25.448" पू	38
29.	नेउगा	चैनपुर	118	25°0' 55.736" उ	83°23' 44.638" पू	25
30.	बंहाउना	चैनपुर	119	25°0' 30.345" उ	83°24' 11.011" पू	165
31.	खजोपुर ( निर्जन )	चैनपुर	104	25°1' 7.707" उ	83°24' 29.116" पू	45
32.	दिह भुजैना	चैनपुर	121	25°0' 31.542" उ	83°25' 0.635" पू	248
33.	मझगानवान	चैनपुर	913	24°56' 39.399" उ	83°26' 29.551" पू	400.91
34.	दुवेपुर	चैनपुर	124	24°59' 58.171" उ	83°25' 51.012" पू	19

35.	सिउर ( निर्जन )	चैनपुर	122	24°59' 38.271" उ	83°25' 2.400" पू	53.34
36.	लोहरा	चैनपुर	317	25°0' 1.059" उ	83°31' 12.948" पू	212
37.	नन्दगावन	चैनपुर	319	25°0' 30.425" उ	83°31' 38.352" पू	134
38.	सोहवाल	चैनपुर	320	25°0' 20.733" उ	83°31' 50.979" पू	69
39.	रामगढ़	चैनपुर	111	24°58' 0.168" उ	83°34' 29.356" पू	333
40.	बुचा	भगवानपुर	801	24°54' 31.953" उ	83°40' 16.770" पू	97
41.	अमरपुर	भगवानपुर	802	24°54' 9.390" उ	83°41' 9.788" पू	539
42.	नवानगर	भगवानपुर	790	24°55' 1.213" उ	83°38' 14.638" पू	81
43.	खरदीहा	भगवानपुर	800	24°55' 5.327" उ	83°40' 6.851" पू	82
44.	बेलदीह	भगवानपुर	791	24°55' 30.172" उ	83°38' 27.311" पू	40
45.	नौगढ़पुरब पट्टी	भगवानपुर	806	24°55' 18.635" उ	83°41' 12.087" पू	106
46.	बखारहानध	भगवानपुर	792	24°55' 48.789" उ	83°38' 35.667" पू	19
47.	हरीपुर	भगवानपुर	371	24°55' 43.845" उ	83°36' 19.764" पू	67
48.	नौगढ़ पश्चिम पट्टी	भगवानपुर	805	24°55' 37.259" उ	83°40' 50.845" पू	50
49.	दमारपुर	भगवानपुर	804	24°55' 36.976" उ	83°40' 36.187" पू	42
50.	देमारना	भगवानपुर	369	24°56' 10.416" उ	83°35' 55.849" पू	117
51.	नडुला	भगवानपुर	377	24°56' 11.059" उ	83°37' 27.882" पू	23
52.	राधाखानर	भगवानपुर	374	24°56' 19.082" उ	83°36' 49.085" पू	48
53.	उरगवान	भगवानपुर	378	24°56' 8.711" उ	83°37' 39.549" पू	90
54.	मरारी (निर्जन)	भगवानपुर	367	24°56' 24.051" उ	83°35' 29.436" पू	38
55.	धनगरहा	भगवानपुर	365	24°57' 24.882" उ	83°35' 3.996" पू	186
56.	धरचाली	भगवानपुर	803	24°54' 58.414" उ	83°40' 46.196" पू	96
57.	किनारचोला	भगवानपुर	795	24°55' 21.874" उ	83°38' 58.596" पू	32
58.	रमावतपुर	भगवानपुर	799	24°54' 51.715" उ	83°39' 31.345" पू	280
59.	कुवान पोखर (निर्जन)	भगवानपुर	793	24°55' 25.496" उ	83°38' 39.071" पू	26
60.	बौनिया (निर्जन)	भगवानपुर	789	24°55' 31.057" उ	83°38' 17.870" पू	17
61.	दवानपुर	भगवानपुर	788	24°55' 34.219" उ	83°38' 6.761" पू	59
62.	सोनादीह (निर्जन)	भगवानपुर	787	24°55' 37.715" उ	83°37' 30.445" पू	90
63.	कुनरवा	भगवानपुर	797	24°55' 40.860" उ	83°39' 28.375" पू	45
64.	अथवनही(निर्जन)	भगवानपुर	372	24°55' 41.603" उ	83°36' 41.145" पू	65
65.	हरजीपुर	भगवानपुर	794	24°55' 35.599" उ	83°42' 9.566" पू	53
66.	पथरौर (निर्जन)	भगवानपुर	368	24°56' 20.207" उ	83°35' 37.768" पू	13
67.	किशुनापुर	भगवानपुर	370	24°56' 5.512" उ	83°36' 17.295" पू	25
68.	मझियावन	भगवानपुर	786	24°56' 11.403" उ	83°38' 5.803" पू	51
69.	पेधिया	भगवानपुर	376	24°56' 0.969" उ	83°37' 15.952" पू	30
70.	मेमरा (निर्जन)	भगवानपुर	373	24°56' 3.455" उ	83°37' 4.324" पू	51
71.	समदा (निर्जन)	भगवानपुर	808	24°56' 0.813" उ	83°41' 27.259" पू	57
72.	जगदीशपुर	भगवानपुर	785	24°56' 27.991" उ	83°37' 54.004" पू	21
73.	तोरी	भगवानपुर	366	24°56' 58.189" उ	83°36' 31.688" पू	882
74.	राजबन्धवा	भगवानपुर	907	24°58' 23.331" उ	83°34' 7.887" पू	42

75.	मतार	भगवानपुर	362	24°59' 19.209" उ	83°34' 21.370" पू	157
76.	परवातपुर	भगवानपुर	149	24°59' 36.389" उ	83°27' 7.515" पू	225
77.	ककरीकुण्डी	भगवानपुर	125	24°59' 44.841" उ	83°26' 0.538" पू	107
78.	निमियातानर	भगवानपुर	340	24°59' 47.250" उ	83°33' 31.018" पू	67
79.	गन्गुदीह	भगवानपुर	337	25°0' 5.810" उ	83°32' 12.803" पू	82
80.	रमौली	भगवानपुर	116	25°0' 21.989" उ	83°23' 48.232" पू	91
81.	खोरादीह	भगवानपुर	339	24°59' 54.225" उ	83°33' 5.646" पू	153
82.	हरगावन	भगवानपुर	114	25°0' 29.667" उ	83°23' 7.564" पू	121
83.	बौराई	भगवानपुर	336	25°0' 43.271" उ	83°32' 36.896" पू	164
84.	पपाहरा (निर्जन)	भगवानपुर	423	24°57' 53.732" उ	83°35' 32.273" पू	254
85.	कुनरवा	भगवानपुर	906	24°58' 39.470" उ	83°34' 32.404" पू	28
86.	ममाही	भगवानपुर	422	24°58' 21.025" उ	83°36' 3.035" पू	285
87.	नवादीह (निर्जन)	भगवानपुर	363	24°58' 59.124" उ	83°34' 51.916" पू	30
88.	चोरघाटिया	भगवानपुर	361	24°59' 34.100" उ	83°33' 48.460" पू	49
89.	उमापुर	भगवानपुर	364	24°59' 13.188" उ	83°35' 6.209" पू	231
90.	दिहामुर्द (निर्जन)	भगवानपुर	433	24°59' 58.171" उ	83°34' 49.682" पू	32
91.	रामगढ	भगवानपुर	905	24°59' 54.896" उ	83°21' 27.985" पू	203
92.	दिहाकलान	भगवानपुर	434	25°0' 0.842" उ	83°34' 20.520" पू	116
93.	सरैया	भगवानपुर	424	25°0' 1.796" उ	83°32' 38.976" पू	205
94.	बजारदिहवा	भगवानपुर	910	24°58' 51.502" उ	83°32' 10.759" पू	194.57
95.	बारवन कलान	भगवानपुर	876	24°53' 24.962" उ	83°39' 42.841" पू	312.83
96.	बभान	भगवानपुर	429	24°56' 36.375" उ	83°34' 32.876" पू	437.51
97.	परारी	भगवानपुर	911	24°56' 37.662" उ	83°31' 39.599" पू	97.218
98.	चौन	भगवानपुर	912	24°57' 40.306" उ	83°30' 39.618" पू	276.33
99.	पीनरा	भगवानपुर	909	24°58' 33.650" उ	83°33' 8.256" पू	220.12
100.	राजपुर	भगवानपुर	1231	24°51' 54.562" उ	83°43' 13.714" पू	57.76
101.	झरिया (निर्जन)	भगवानपुर	908	24°58' 3.948" उ	83°33' 23.528" पू	229.98
102.	मकरीखोह	भगवानपुर	904	24°54' 18.450" उ	83°34' 50.397" पू	1647
103.	करामचट	रामपुर	883	24°49' 57.344" उ	83°41' 55.376" पू	1031
104.	भीतरीवांध	रामपुर	872	24°52' 17.521" उ	83°43' 33.102" पू	50
105.	बैरियादिह (निर्जन)	रामपुर	882	24°51' 0.845" उ	83°41' 40.075" पू	1077
106.	गमहीरपुर (निर्जन)	रामपुर	874	24°52' 21.012" उ	83°43' 1.385" पू	41
107.	नवादीह	रामपुर	873	24°52' 17.086" उ	83°43' 18.584" पू	49
108.	लरुडखारुड (निर्जन)	रामपुर	875	24°52' 25.781" उ	83°42' 34.248" पू	75
109.	कनजीयारी (निर्जन)	रामपुर	881	24°51' 28.641" उ	83°40' 15.830" पू	1611
110.	इवराहिमपुर	रामपुर	864	24°52' 57.731" उ	83°44' 10.391" पू	225
111.	बरादीह	रामपुर	867	24°53' 4.049" उ	83°43' 39.750" पू	94
112.	लालापुर	रामपुर	857	24°54' 4.806" उ	83°43' 52.385" पू	168
113.	दियारी	रामपुर	855	24°54' 34.428" उ	83°44' 28.760" पू	55
114.	लखानदही	रामपुर	856	24°54' 35.800" उ	83°44' 4.043" पू	130

115.	दरियावन	रामपुर	849	24°55' 2.752" उ	83°44' 21.422" पू	28
116.	हरजीपुर (निर्जन)	रामपुर	816	24°55' 5.809" उ	83°38' 45.519" पू	44
117.	जगमोहना	रामपुर	826	24°55' 13.074" उ	83°44' 10.016" पू	54
118.	हुनादरी	रामपुर	818	24°55' 16.752" उ	83°43' 8.224" पू	161
119.	बरली	रामपुर	848	24°55' 30.688" उ	83°44' 26.810" पू	65
120.	सोनावन पश्चिम पट्टी	रामपुर	815	24°55' 39.530" उ	83°42' 20.956" पू	42
121.	पुनावन	रामपुर	813	24°55' 42.525" उ	83°42' 46.977" पू	91
122.	सोनावनपुरब पट्टी	रामपुर	814	24°55' 48.562" उ	83°42' 29.518" पू	43
123.	अहीरावन	रामपुर	822	24°55' 51.040" उ	83°43' 44.966" पू	99
124.	तारावन	रामपुर	809	24°55' 30.170" उ	83°41' 46.468" पू	203
125.	बखारम	रामपुर	866	24°52' 50.316" उ	83°42' 57.841" पू	158
126.	बरावन	रामपुर	863	24°53' 23.719" उ	83°44' 27.462" पू	105
127.	लेवा	रामपुर	859	24°53' 41.622" उ	83°44' 6.632" पू	59
128.	गोरवार (निर्जन)	रामपुर	865	24°53' 28.695" उ	83°42' 56.675" पू	397
129.	बेनीपुर	रामपुर	860	24°53' 48.805" उ	83°44' 38.777" पू	65
130.	हसानपुरा	रामपुर	858	24°54' 10.399" उ	83°44' 22.448" पू	59
131.	अरनावन	रामपुर	854	24°54' 20.884" उ	83°45' 16.540" पू	317
132.	सलेमपुर	रामपुर	852	24°54' 50.007" उ	83°44' 39.394" पू	36
133.	बोगादहान (निर्जन)	रामपुर	850	24°55' 4.875" उ	83°44' 31.547" पू	28
134.	चनेला (निर्जन)	रामपुर	817	24°54' 57.075" उ	83°42' 32.541" पू	173
135.	मराईछा (निर्जन)	रामपुर	851	24°54' 59.680" उ	83°45' 24.377" पू	23
136.	मराईछा	रामपुर	853	24°55' 6.324" उ	83°44' 46.208" पू	171
137.	हुनदारा (निर्जन)	रामपुर	823	24°55' 12.038" उ	83°43' 55.881" पू	72
138.	हुनदारा	रामपुर	824	24°55' 11.061" उ	83°43' 41.328" पू	40
139.	हुनदारा	रामपुर	825	24°55' 8.991" उ	83°43' 26.786" पू	47
140.	बिदेमरपुर (निर्जन)	रामपुर	847	24°55' 29.100" उ	83°44' 39.660" पू	38
141.	लेवा (निर्जन)	रामपुर	859	24°55' 53.535" उ	83°43' 9.139" पू	59
142.	चकी	रामपुर	827	24°55' 50.325" उ	83°44' 6.220" पू	31
143.	उद्यानर	रामपुर	819	24°55' 49.998" उ	83°43' 26.800" पू	121
144.	राजान्दीह (निर्जन)	रामपुर	869	24°51' 19.200" उ	83°43' 55.664" पू	72
कैमूर में कुल जिले						21749.22 हेक्टेयर में

## रोहताश जिला:

क्र. सं.	नाम	ब्लॉक	थाना सं.	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	कोटा (निर्जन)	बेनारी	522	24°50' 12.668" उ	83°43' 29.241" पू	205.58
2.	चीखाम्महा (निर्जन)	बेनारी	531	24°50' 41.581" उ	83°51' 27.656" पू	49
3.	पचीरा	बेनारी	541	24°50' 33.747" उ	83°47' 58.425" पू	291
4.	टेंगरा	बेनारी	558	24°50' 45.740" उ	83°49' 49.372" पू	560

5.	रकवा	चेनारी	537	24°51' 22.711" उ	83°49' 35.422" पू	119
6.	उगाहनी	चेनारी	542	24°50' 57.744" उ	83°47' 23.897" पू	349
7.	जारारही	चेनारी	540	24°51' 34.570" उ	83°48' 15.078" पू	88
8.	मगजपुरा	चेनारी	532	24°50' 51.185" उ	83°51' 7.212" पू	236
9.	नेउरी	चेनारी	534	24°51' 33.985" उ	83°50' 27.510" पू	102
10.	बादलगढ़	चेनारी	551	24°51' 2.390" उ	83°44' 43.941" पू	724
11.	दफरपुर (निर्जन)	चेनारी	550	24°50' 38.459" उ	83°45' 40.598" पू	215.69
12.	करमा	चेनारी	549	24°50' 44.667" उ	83°46' 32.227" पू	584
13.	बगैचा (निर्जन)	चेनारी	536	24°51' 25.681" उ	83°50' 7.463" पू	44
14.	रामपुर	चेनारी	538	24°51' 29.870" उ	83°49' 7.450" पू	63
15.	गंगापुर	चेनारी	539	24°51' 36.388" उ	83°48' 43.544" पू	99
16.	सोहनचाक	चेनारी	528	24°51' 39.749" उ	83°51' 41.819" पू	83
17.	पेशियावन	चेनारी	523	24°51' 41.993" उ	83°52' 20.973" पू	111
18.	नाईमुई (निर्जन)	चेनारी	533	24°51' 39.603" उ	83°50' 42.213" पू	18
19.	मुन्डादीह (निर्जन)	चेनारी	557	24°50' 49.435" उ	83°48' 37.789" पू	164.03
20.	दरशाना	शिओसागर	577	24°48' 56.095" उ	83°55' 24.720" पू	1085
21.	बनैदीह (निर्जन)	शिओसागर	525	24°50' 29.552" उ	83°52' 7.511" पू	38
22.	तार दीह (निर्जन)	शिओसागर	574	24°50' 10.630" उ	83°54' 15.601" पू	294
23.	सिंघनपुरा	शिओसागर	565	24°50' 35.854" उ	83°52' 41.737" पू	209
24.	उल्हो	शिओसागर	568	24°50' 40.845" उ	83°53' 38.565" पू	192
25.	नुतरा	शिओसागर	566	24°50' 31.488" उ	83°53' 8.805" पू	249
26.	सिंदरपुर	शिओसागर	573	24°51' 5.896" उ	83°54' 13.863" पू	103
27.	दुवा	शिओसागर	584	24°51' 2.990" उ	83°55' 49.584" पू	55
28.	महुआपोखर	शिओसागर	526	24°51' 4.197" उ	83°51' 58.766" पू	109
29.	खर्दीहन	शिओसागर	580	24°51' 8.785" उ	83°55' 24.177" पू	115
30.	चमारहा (निर्जन)	शिओसागर	524	24°50' 57.852" उ	83°52' 19.975" पू	65.96
31.	बहदीमपुर (निर्जन)	शिओसागर	527	24°51' 0.462" उ	83°51' 44.706" पू	86
32.	मिगथी (निर्जन)	शिओसागर	583	24°51' 15.712" उ	83°55' 37.625" पू	44
33.	मोहम्मदपुर	शिओसागर	578	24°51' 21.713" उ	83°54' 44.624" पू	120
34.	त्रिसरामपुर	शिओसागर	579	24°51' 33.738" उ	83°55' 3.513" पू	130
35.	पनारी देई (निर्जन)	शिओसागर	564	24°50' 13.458" उ	83°51' 48.929" पू	47
36.	जमाहथ	सासाराम	585	24°51' 15.380" उ	83°56' 2.779" पू	135
37.	कौरिया (निर्जन)	सासाराम	302	24°51' 21.115" उ	83°58' 18.212" पू	85
38.	करीनिया (निर्जन)	सासाराम	586	24°51' 11.938" उ	83°56' 34.062" पू	316
39.	तिकरा (निर्जन)	सासाराम	587	24°51' 36.145" उ	83°57' 3.777" पू	195
40.	तेनदुआ	सासाराम	303	24°51' 46.788" उ	83°57' 34.437" पू	101
41.	मुरही	सासाराम	304	24°52' 37.461" उ	83°57' 51.661" पू	120
42.	घरवेर	सासाराम	306	24°52' 34.101" उ	83°58' 23.903" पू	270
43.	बर्ई	सासाराम	307	24°53' 31.425" उ	83°58' 39.017" पू	265
44.	बेलहर	सासाराम	119	24°55' 11.404" उ	84°1' 2.543" पू	76

45.	कुरदाउन	सामाराम	236	24°54' 34.073" उ	84°3' 13.501" पू	322
46.	शदोखारा	सामाराम	118	24°55' 42.149" उ	84°0' 43.089" पू	186
47.	मुनडी सराय (निर्जन)	सामाराम	309	24°53' 59.743" उ	83°59' 52.707" पू	121
48.	सोनगावन	सामाराम	308	24°53' 42.539" उ	83°59' 17.272" पू	289
49.	धौदनर	सामाराम	241	24°53' 47.583" उ	84°4' 17.390" पू	1125
50.	मोलावन	सामाराम	310	24°54' 46.397" उ	83°59' 21.851" पू	273
51.	सिकरिया	सामाराम	120	24°54' 45.725" उ	84°0' 59.105" पू	1100
52.	गुरैला	देहरी	168	24°53' 29.588" उ	84°5' 54.183" पू	81.81
53.	सोनपुरा	तिलौथु	291	24°49' 12.937" उ	84°1' 17.735" पू	374
54.	चितौली	तिलौथु	597	24°44' 53.560" उ	84°2' 17.345" पू	446
55.	रूपहया	तिलौथु	595	24°45' 28.077" उ	84°1' 26.672" पू	183
56.	पनती (निर्जन)	तिलौथु	594	24°45' 42.572" उ	84°1' 32.782" पू	80
57.	रामदीहरा	तिलौथु	593	24°45' 59.297" उ	84°1' 20.412" पू	305
58.	चुरसर	तिलौथु	590	24°46' 23.071" उ	83°59' 9.919" पू	1626.81
59.	रामपुर	तिलौथु	287	24°47' 13.369" उ	84°0' 43.797" पू	768.08
60.	चैनपुरा	तिलौथु	290	24°48' 38.619" उ	84°1' 32.576" पू	634
61.	दिगही (निर्जन)	तिलौथु	292	24°49' 39.264" उ	84°1' 3.583" पू	203
62.	कैथी	तिलौथु	293	24°49' 50.916" उ	84°1' 57.918" पू	168
63.	भदोखरा	तिलौथु	296	24°50' 26.455" उ	84°2' 20.784" पू	275
64.	मरगौही	तिलौथु	249	24°51' 29.536" उ	84°3' 18.855" पू	127
65.	भरखोहा	तिलौथु	248	24°51' 31.779" उ	84°4' 2.086" पू	117
66.	कोईदीह	तिलौथु	246	24°51' 59.468" उ	84°5' 3.926" पू	126
67.	महेशदीह	तिलौथु	242	24°52' 33.495" उ	84°5' 20.186" पू	156
68.	लेवारा	तिलौथु	243	24°52' 57.272" उ	84°5' 40.220" पू	229
69.	बेलबई (निर्जन)	तिलौथु	294	24°50' 20.055" उ	84°0' 51.685" पू	401
70.	अझारा (निर्जन)	तिलौथु	297	24°50' 53.683" उ	84°2' 48.980" पू	19
71.	वरदीहा	तिलौथु	251	24°50' 59.202" उ	84°4' 39.556" पू	59
72.	दुरका	तिलौथु	252	24°51' 19.351" उ	84°5' 22.405" पू	258.44
73.	पटलुका	तिलौथु	267	24°50' 38.919" उ	84°4' 51.568" पू	57.87
74.	मिर्जापुर	तिलौथु	269	24°50' 23.843" उ	84°3' 13.572" पू	115.36
75.	शिउपुर	तिलौथु	295	24°50' 55.983" उ	84°1' 44.119" पू	214
76.	मेवही	तिलौथु	250	24°50' 54.436" उ	84°3' 49.730" पू	358
77.	साईना	तिलौथु	298	24°51' 18.311" उ	84°2' 39.784" पू	155
78.	गामदीहरा	तिलौथु	247	24°51' 31.391" उ	84°4' 45.664" पू	158
79.	कुमदीहरा	तिलौथु	245	24°52' 17.882" उ	84°5' 31.158" पू	165
80.	रेनरिया	तिलौथु	288	24°47' 54.790" उ	84°0' 41.233" पू	395
81.	कामियावन	रोहताश (अकबरपुर)	607	24°41' 13.504" उ	84°0' 29.486" पू	298
82.	खनुरी	रोहताश (अकबरपुर)	604	24°42' 5.680" उ	84°1' 23.154" पू	254

अनुसूची II - खण्ड 3(ii)]

83.	तेलकप	रोहताश (अकबरपुर)	606	24°42' 25.477" उ	83°59' 56.970" पू	465
84.	धेनाबर	रोहताश (अकबरपुर)	603	24°42' 36.525" उ	84°1' 54.838" पू	297
85.	बसरही	रोहताश (अकबरपुर)	601	24°43' 43.176" उ	84°0' 23.372" पू	161
86.	तुमवा	रोहताश (अकबरपुर)	599	24°44' 8.342" उ	84°1' 47.660" पू	640
87.	बज़ीदपुर	रोहताश (अकबरपुर)	608	24°40' 49.388" उ	84°0' 21.062" पू	121
88.	रसुलपुर	रोहताश (अकबरपुर)	605	24°41' 32.453" उ	84°1' 7.844" पू	276
89.	नवादीह	रोहताश (अकबरपुर)	602	24°43' 3.318" उ	84°0' 57.261" पू	346
90.	करमा	रोहताश (अकबरपुर)	600	24°43' 33.207" उ	84°1' 32.346" पू	357
91.	रंजीतगंज	रोहताश (अकबरपुर)	598	24°44' 30.567" उ	84°2' 16.640" पू	221
92.	सुपामराई	रोहताश (अकबरपुर)	286	24°47' 7.033" उ	84°2' 22.386" पू	216
93.	भीमरा	रोहताश (अकबरपुर)	289	24°48' 0.931" उ	84°2' 33.962" पू	229
रोहताश में कुल जिले						24162.63 हेक्टेयर में

संक्षेप

जिला	ग्रामों की सं.	क्षेत्र (पारिस्थितिकी संवेदी जोन में)
कैमूर	144	21749.22 हेक्टेयर
रोहताश	93	24162.63 हेक्टेयर
कुल	237	45911.85 हेक्टेयर या 459.12 वर्ग किलोमीटर

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।

6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सागंश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सागंश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2015

S.O. 3549(E).—Where a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 274(E), dated 28<sup>th</sup> January, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 28<sup>th</sup> January, 2015;

AND WHEREAS, all the objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Kaimur Wildlife Sanctuary, situated in the then Shahabad district, and presently in Rohtas and Kaimur District, lying between Latitudes 24°3' and 25°0' N and Longitude 83°25' and 85°0' E, in the State of Bihar, extending over an area of 1504.96 sq. km. was notified as wildlife sanctuary vide notification of the Government of Bihar, Forests Department number S.O. 1160 dated 20<sup>th</sup> July, 1979 under the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

AND WHEREAS, the Leopard, Hyena, Jackal, Wolf, Wild Boar, Sloth Bear, Cheetal, Sambhar, Black Buck, Chinkara, Chausingha (four horned antelope), Nilgai, Jungle Fowl, Python, Muggar, Langur, Monkey and more than 100 bird species are the species of vital importance in Kaimur Wildlife Sanctuary, which includes endangered species like Leopard, Black buck, Chinkara and Four horned antelope (Chausingha);

AND WHEREAS, this sanctuary is rich with the following types of forests, namely:-

- (i) Northern Tropical Dry Deciduous Forests and Dry Sal Forests having common associates of Sal such as Asan, Kend, Sidha, Piar, Dhaura, Amla, Harre, Bahera, Bija, Karamand occasional Gamhar and Jamun;
- (ii) Open and scrub forests having Ber, Kanaudaa, *Capparis* spp., *Randiaspp.*, etc. with very occasional stems of Kend, Sidha, Harre, and Mahua;
- (iii) Open miscellaneous forests having Asan, Kend, Kusum, Karam, Piar, Dhaura, Bharkad, Gamhar, Ber, Salai, Amla, Harre, Bahera, Dudh Koraya and occasional Mahua and Bija with Khair also being an important associate of this type of forests.
- (iv) Miscellaneous forests with Bamboo (*Dendrocalamus strictus*); and
- (v) Salai forests;

AND WHEREAS, the forests of this sanctuary also intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion; Durgawati and Karmnasha are the main perennial rivers originating from the sanctuary;

AND WHEREAS, this sanctuary is located in the eastern extremity of Vindhyan hill ranges and its plateau landforms are unique in the State of Bihar;

AND WHEREAS, the plateau tract in sanctuary is inhabited by Chero, Oraon and Kharwar tribes with sociological significance;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kaimur Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to prohibited industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;